कार्यालय वन वृत्त शहडोल-484001 (मध्यप्रदेश)

PHONE-245361 FAX-240189 E_MAIL- ccfshahdol@mpforest.org, ccf.sdl@mp.gov.in

क्रमांक/माचि/2016/ 3152 शहडोल, दिनांक 21/05/2016

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश-भोपाल

विषय – कटनी-उमरिया-शहडोल-अनूपपुर से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग-78 का चौड़ीकरण हेतु उमरिया जिले में 30.423 हे. (वनभूमि 23.287 हे. राजस्व वनभूमि 7.136 हे.) वनभूमि उपयोग की मांग।

-☆☆☆-

राष्ट्रीय राजमार्ग-78 चौडीकरण की प्रशासकीय स्वीकृति भारत सरकार मंत्रालय सड़क परिवहन एवं राजपथ नई दिल्ली का पत्र दिनांक 17.11.2014 से दी गयी है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रबंधक म.प्र. रोड डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, शहडोल द्वारा उमरिया जिले के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-78 का चौड़ीकरण हेतु वनभूमि उपयोग बावत् वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्ततु किया है।

उक्त अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग-78 की चौड़ाई वर्तमान में 9 मीटर है। कॉलम-08 में दर्शायी अनुसार अतिरिक्त चौड़ाई बढ़ाई जाने पर वनभूमि 23.287 हे. एवं राजस्व वनभूमि 7.136 हे. कुल 30.423 हे. वनभूमि की आवश्यकता होगी। वन विभाग एवं राजस्व विभाग के प्रशासनिक इकाई के अन्तर्गत स्थित आने वाले भूमि का विवरण तालिका अनुसार है :-

<u>वन विभाग</u> –

जिला	वनमंडल	आरक्षित/ संरक्षित वनखण्ड	कक्ष क्र.	पूर्व में निर्मित सड़क		वर्तमान में अतिरिक्त प्रस्तावित सड़क		
				लम्बाई (मी.में)	चौड़ाई (मी.में)	लम्बाई (मी.में)	चौड़ाई (मी.में)	हेक्टे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उमरिया	उमरिया	चंदिया (सं.)	P-58	0	0.00	220	45	0.990
		दुब्बार (आ.)	09	0	0.00	240	18	0.432
		बरमबाबा(सं.)	P-61	2860	4.20	260	16	0.416
		बरमानी (सं.)	P-64	320	4.20	255	25	0.637
		बरमानी (सं.)	P-65	420	4.20	220	30	0.660
				0	0.00	60	18	0.108
		लगवारी(आ.)	684	400	4.20	0	0	0.000
		लोढ़ा (सं.)	P-720	0	0.00	50	9	0.045
		खलेसर (सं.)	P-729	40	4.20	0	0	0.000
		बांधा (आ.)	679	1320	4.20	0	0	0.000
		उमरिया कैम्प (आ.)	210	0	0.00	275	45	1.238
		उमरिया कैम्प (आ.)	211	0	0.00	300	45	1.350
				0	0.00	70	15	0.105
		धोरई (आ.)	577	0	0.00	120	22.50	0.270
		सोहागपुर (आ.)	534	285	4.20	875	20	1.750
		सोहागपुर (आ.)	514	1098	4.20	1052	20	2.104

जिला	वनमंडल	आरक्षित/ संरक्षित वनखण्ड	कक्ष क्र.	पूर्व में निर्मित सड़क		वर्तमान में अतिरिक्त प्रस्तावित सड़क		
				लम्बाई (मी.में)	चौड़ाई (मी.में)	लम्बाई (मी.में)	चौड़ाई (मी.में)	हेक्टे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		सोहागपुर (आ.)	309	900	4.20	630	30	1.890
						530	20	1.060
		सोहागपुर (आ.)	308	290	4.20	190	20	0.380
		सोहागपुर (आ.)	295	280	4.20	870	20	1.740
		सोहागपुर (आ.)	243/297	360	4.20	390	20	0.780
		सोहागपुर (आ.)	239	620	4.20	330	20	0.660
		सोहागपुर (आ.)	238	1170	4.20	0	0	0.000
		सोहागपुर (आ.)	236	1745	4.20	0	0	0.000
		सोहागपुर (आ.)	215	950	4.20	235	20	0.470
		सोहागपुर (आ.)	216	750	4.20	0	0	0.000
		अम्बिका (सं.)	P-331	0	0.00	90	45	0.405
	योग –			13808	71.40	7262	523.50	17.490

राजस्व विभाग के अधीन राजस्व वनभूमि

जिला	वनमंडल	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	वर्तमान में अतिरिक्त प्रस्तावित सड़क		
					लम्बाई (मी.में)	चौड़ाई (मी.में)	हेक्टे.
1	2	3	4	5	6	7	8
उमरिया	उमरिया	बॉधवगढ़	करकेली	2/1, 2	125	30	0.375
		बॉधवगढ़	बरही	59/8, 59/9/k/1	165	30	0.495
		पाली	गिजरी	594	30	30	0.090
				16	36	40	0.142
				17	55	40	0.218
				18	20	40	0.080
				20	50	40	0.200
				23	41	40	0.164
				30	42	40	0.168
				31	25	40	0.100
				33	40	40	0.160
				34	58	40	0.232
				36	68	40	0.272
				39	72	40	0.288
				42	61	40	0.244
				65	361	40	1.444
				83/2/8	35	40	0.140
				83/2/8,k	70	40	0.280
				102	68	40	0.272
				107	10	40	0.040
				110	76	40	0.304
			धौरई	3	65	40	0.260
				10	105	30	0.315
			सुखा	265	28	40	0.112
			पाली	1309	50	40	0.200
			मुदरिया	31	68	25	0.170
			बरहाई	63	10	25	0.025
				168	50	25	0.125
				215	30	25	0.075
				247	50	25	0.125
				249	10	21	0.021
				योग –	1973	1106	7.136

2-- वन संरक्षक एवं पदेन वनमंडलाधिकारी, वनमंडल उमरिया के पत्र क्र/माचि./850 दिनांक 18.05.2016 से प्रस्ताव वन वृत्त शहडोल को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

(i). आवेदक संस्थान ने उमरिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग–78 के चौड़ीकरण किये जाने बावत् टीप संलग्न किया है।

(ii). आवेदक संस्थान ने राष्ट्रीय राजमार्ग–78 के चौड़ीकरण में राजस्व वनभूमि शामिल होने का संबंधित तहसीलदार का प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया है। उक्त अनुसार उमरिया जिले में 7.136 हे. राजस्व वनभूमि प्रभावित होती है, जो राजस्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में है।

(iii). आवेदित क्षेत्र को 1:50,000 के मानचित्र में संकेत द्वारा दर्शायी गयी है, प्रस्ताव में संलग्न किया है ।

(iv). आवेदक संस्थान एवं वन संरक्षक एवं पदेन वनमंडलाधिकारी, वनमंडल उमरिया ने इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न किया है कि आवेदित वनभूमि राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य/ वन्यप्राणी कॉरीडोर/वन्य जैव मण्डल रिजर्व/सैम्पल प्लाट आदि का भाग नहीं है और न ही इसके 10 कि.मी. की परिधि में संरक्षित क्षेत्र स्थित है।

(v). आवेदक संस्थान व वन संरक्षक एवं पदेन वनमंडलाधिकारी, वनमंडल उमरिया ने संरक्षित क्षेत्र की दूरी संबंधी प्रमाण–पत्र दिया है संलग्न।

(vi). आवेदक संस्थान का न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोग प्रमाण–पत्र संलग्न है।

(vii). राष्ट्रीय राजमार्ग–78 पूर्व से ही निर्मित है, जिसकी चौड़ीकरण एवं कुछ स्थलों पर मार्ग परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है, स्थल अनुसार अन्य विकल्प नहीं है।

(viii). आवेदक संस्थान द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग–78 के चौड़ीकरण अन्तर्गत आवेदित वन भूमि 30.423 हे. के विरूद्ध गैर वनभूमि जिला–आगर मालवा, तहसील–बड़ोद ग्राम–रापड़ी व टोकड़ा स्थित क्रमशः खसरा क्रमांक 18/1/1 रकबा 19.47 हे. एवं खसरा क्रमांक 229 रकवा 11.57 हे. कलेक्टर, जिला–आगर मालवा के आदेश दिनांक 14.07.2015 से उपलब्ध कराई गई है, प्रति प्रस्ताव में संलग्न।

(ix). आवेदक संस्थान द्वारा ने रि–क्लेमेशन प्लान एवं अतिरिक्त देय राशि का भुगतान हेतु वचन पत्र दिया है, प्रस्ताव में संलग्न।

(x). राष्ट्रीय राजमार्ग–78 के चौड़ीकरण किये जाने पर कोई व्यवस्थापन नहीं होगा।

(xi). राष्ट्रीय राजमार्ग–78 के चौड़ीकरण हेतु आवेदित वनभूमि में कोई ऐतिहासिक/ पुरातत्व धरोहर/स्थल चिन्ह आदि स्थित नहीं होने का प्रमाण–पत्र दिया है, प्रस्ताव में संलग्न ।

(xii). वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अधिकारों के विनिश्चिन की कार्यवाही पूर्ण होने का कलेक्टर, जिला–उमरिया का प्रमाण–पत्र दिनांक 02.05.2016 आवेदक संस्थान ने प्रस्ताव में संलग्न किया है।

(xiii). आवेदक संस्थान द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की राशि भुगतान करने का वचन–पत्र दिया है, प्रस्ताव में संलग्न।

(xiv). आवेदक संस्थान ने वन विभाग द्वारा बनायी गयी क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि भुगतान करने का वचन–पत्र दिया है, प्रस्ताव में संलग्न।

3— वन संरक्षक एवं पदेन वनमंडलाधिकारी, वनमंडल उमरिया ने उनसे संबंधित विभिन्न बिन्दुओं की जानकारी/अभिलेख आदि संलग्न किये गये है :—

(i). राष्ट्रीय राजमार्ग—78 के चौड़ीकरण हेतु आवेदित वन क्षेत्र का घनत्व 0.0 से 0.5 तक है।

(ii). राष्ट्रीय राजमार्ग—78 के चौड़ीकरण आवेदित वनक्षेत्र में विगत वन्यप्राणी गणना में वन्यप्राणी नहीं पाये गये, किन्तु बाघ, हिरण, सुअर, लोमड़ी, सियार एवं बन्दर आदि वन्यप्राणी यदा—कदा इस क्षेत्र में विचरण करते है।

(iii). आवेदक संस्थान द्वारा संलग्न किये गये मानचित्रों में वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल उमरिया का हस्ताक्षर अंकित है।

(iv). वन संरक्षक एवं पदेन वनमंडलाधिकारी, वनमंडल उमरिया ने न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोग प्रमाण—पत्र संलग्न किया है।

(v). राष्ट्रीय राजमार्ग—78 के चौड़ीकरण हेतु आवेदित वनभूमि में गणना अनुसार 5707 वृक्ष विभिन्न प्रजाति व गोलाई के खड़े पाये गये है। विवरण नीचे दर्शाये अनुसार है :—

<u>वृक्षों की प्रजाति व गोलाई (से.मी.) एवं संख्या</u>

प्रजाति	21 से 60	61 से 120	121 से अधिक	कुल
सागौन	1574	106	05	1685
साल	249	684	371	1304
अन्य	639	1286	625	2550
नीलगीरी	100	53	15	168
योग	**2562**	**2129**	**1016**	**5707**

(vi). राष्ट्रीय राजमार्ग—78 के चौड़ीकरण में प्रभावित वनभूमि के विरूद्ध 10 वर्षीय क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना जिला—आगर मालवा, तहसील—बड़ोद, ग्राम—रापड़ी, खसरा नं. 18/1/1 रकवा 19.47 हे. एवं ग्राम—टोकड़ा खसरा नं. 229 रकबा 11.57 हे. में बनायी गयी है। योजना की तकनीकी अनुमोदन मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, वन वृत्त उज्जैन द्वारा दिनांक 12.04.2016 से दी गयी है, संलग्न।

(vii). वन संरक्षक एवं पदेन वनमंडलाधिकारी, वनमंडल उमरिया के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लघंन नहीं हुआ है।

(viii). आवेदक संस्थान से इस प्रकरण के अलावा NPV/CA की राशि वसूल करने हेतु लंबित नहीं है।

4— मुख्य वन संरक्षक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही भाग—III

(i). वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार आवेदित क्षेत्र का मुख्य वन संरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाना आवश्यक नहीं है।

(ii). आवेदित क्षेत्र का स्थल निरीक्षण वन संरक्षक एवं पदेन वनमंडलाधिकारी, वनमंडल उमरिया ने दिनांक 16.04.2016 को किया है। उनके द्वारा दी गई जानकारी से यह कार्यालय सहमत है।

(iii). वन संरक्षक एवं पदेन वनमंडलाधिकारी, वनमंडल उमरिया द्वारा दी गयी जानकारी अनुसार वर्तमान में सड़क की चौड़ाई 09 मीटर है तथा जिन्हें और 13 मीटर चौड़ा किया जाना है। जिसमें कुछ स्थानों पर सड़क को सीधा करने के लिये पूर्व मार्ग को परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है। वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल उमरिया ने आवेदक संस्थान के पक्ष में रकवा 30.423 हे. (वनभूमि 23.287 हे. राजस्व वनभूमि 7.136 हे.) वनभूमि का व्यपवर्तन प्रस्तावित किया है। यह कार्यालय भी सहमत है। भारत सरकार/ राज्य शासन से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अनुशंसा की जाती है। प्रस्ताव 03 प्रतियों में अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न— उपरोक्तानुसार।

(सुनील अग्रवाल)
मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म0प्र0)

पृ0क्रमांक/माचि/2016/ 3153 शहडोल, दिनांक 21/05/2016

प्रतिलिपि :—

1. मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त उज्जैन (म.प्र.)
2. वन संरक्षक एवं पदेन वनमंडलाधिकारी, वनमंडल उमरिया/शाजापुर
3. कलेक्टर, जिला—उमरिया/आगर मालवा (म.प्र.)
4. परियोजना प्रबंधक, म.प्र. रोड डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, शहडोल
   को विषयांकित प्रकरण के संबंध में सूचनार्थ।

मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म0प्र0)

भाग – III

संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

14	स्थल जहॉ की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं। वन संरक्षण अधिनियम के दिशा–निर्देश अनुसार स्थल निरीक्षण किया जाना आवश्यक नहीं है। आवेदित क्षेत्र रकवा 30.423 हे. (वनभूमि 23.287 हे. राजस्व वनभूमि 7.136हे.) का स्थल निरीक्षण वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल उमरिया ने दिनांक 16.04.2016 को किया है, निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।
15	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल उमरिया द्वारा दी गई जानकारी से यह कार्यालय सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल उमरिया ने उनके प्रशासनिक इकाई के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–78 की चौड़ीकरण हेतु आवेदित वनभूमि रकवा 30.423 हे. (वनभूमि 23.287 हे. राजस्व वनभूमि 7.136हे.) व्यपवर्तन किये जाने की अनुशंसा की है। इस कार्यालय द्वारा भी अनुशंसा की जाती है।

तिथि : 31 .05.2016

स्थान : शहडोल

31/5/16

(सुनील अग्रवाल)

मुख्य वन संरक्षक

वन वृत्त शहडोल (म0प्र0)